



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272403
CG-DL-E-09052026-272403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/ वैशाख 18, 1948

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/ VAISAKHA 18, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सं. ए-50013/48/2025-ई-III.--- पूर्ववर्ती जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 01.10.1992 के सं. 23/8/92-ईआर द्वारा भारत सरकार के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित संकल्प की अधिसूचना के अनुसरण में एवं भारत सरकार के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित पूर्ववर्ती सिंचाई मंत्रालय के दिनांक 19.03.1982 के संकल्प सं. 2(17)/80-एफसी के अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करती है:

अध्यक्ष :

i. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

सदस्य:

ii. असम के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री

iii. मणिपुर के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री

- iv. मेघालय के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री
- v. नागालैंड के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री;
- vi. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री
- vii. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री
- viii. मिजोरम के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री;
- ix. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री
- x. सिक्किम के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केंद्रीय मंत्री
- xi. वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री
- xii. जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री
- xiii. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री
- xiv. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री
- xv. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री
- xvi. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- xvii. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग

सदस्य-सचिव:

- xviii. अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड

सदस्य (आरएम), केंद्रीय जल आयोग, बोर्ड की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

बोर्ड, अपनी नीतियां निर्धारित करेगा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कुशल कार्यकरण के लिए उसके कार्यों की देखरेख करेगा।

बोर्ड अपना स्वयं का कार्य-नियम बनाएगा। बोर्ड का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा।

बोर्ड को सचिवालयी सहायता, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाएगी।

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव और सैन्य सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना हेतु भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे सूचना के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)****RESOLUTION**

New Delhi, the 8th May, 2026

No. A-50013/48/2025-E-III.—In pursuance of the notification of resolution of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Water Resources, vide No. 23/8/92-E.R. dated the 1st October 1992, published in the Gazette of India in Part I Section 1 and in supersession of notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Irrigation resolution No. 2(17)/80-FC dated the 19th March 1982, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, the Government of India reconstitutes the High Powered Review Board with the following members:

Chairman:

- i. Union Minister for Jal Shakti

Members:

- ii. Chief Minister of Assam or a Cabinet Minister duly authorized by him
- iii. Chief Minister of Manipur or a Cabinet Minister duly authorized by him
- iv. Chief Minister of Meghalaya or a Cabinet Minister duly authorized by him
- v. Chief Minister of Nagaland or a Cabinet Minister duly authorized by him
- vi. Chief Minister of Tripura or a Cabinet Minister duly authorized by him
- vii. Chief Minister of Arunachal Pradesh or a Cabinet Minister duly authorized by him
- viii. Chief Minister of Mizoram or a Cabinet Minister duly authorized by him
- ix. Chief Minister of West Bengal or a Cabinet Minister duly authorized by him
- x. Chief Minister of Sikkim or a Cabinet Minister duly authorized by him
- xi. Union Minister / Minister of State for Finance
- xii. Union Minister of State for Jal Shakti
- xiii. Union Minister/Minister of Power
- xiv. Union Minister/Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare
- xv. Union Minister/Minister of State for Ports, Shipping and Waterways.
- xvi. Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti
- xvii. Chairman, Central Water Commission, Department of Water Resources, RD & GR

Member-Secretary:

- xviii. Chairman, Brahmaputra Board

Member (RM), Central Water Commission, will be a permanent invitee to the meeting of the Board.

The Board will lay down board policies and oversee the work of the Brahmaputra Board for its efficient functioning.

The Board will frame its own Rules of Business. The headquarters of the Board will be at Guwahati.

The Secretariat assistance to the Board will be provided by the Chairman of the Brahmaputra Board, Guwahati.

KARAN SINGH, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the concerned State/Union Territories, the Private Secretary and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the NITI Aayog and all Ministries/Departments of Central Government for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be requested to publish it in the State. Gazettes for general information.

KARAN SINGH, Jt. Secy.